भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1514
दिनांक 12.02.2019/23 माघ,1940 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस कर्मियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना

1514. श्री विजय कुमार हांसदाकः

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पुलिस ड्यूटी अधिकारी और उच्च अधिकारियों के दबाव में दर्ज नहीं की जा रही है और प्रभावित परिवार को न्याय नहीं मिल पर रहा है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए राज्य और वर्ष-वार कितने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;
(घ) सरकार द्वारा संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किये जाने की स्थिति में अन्य क्या वैकल्पिक प्रावधान किए गए हैं ताकि उक्त एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए; और
(ङ) उक्त विकल्पों के अनुपालन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (ड.): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय है। देश में संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए जिन पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या से संबंधित विशेष आंकड़ा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

****